

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०

(झारखण्ड सरकार का एक प्रतिष्ठान)

खनिज निगम भवन, डोरण्डा, राँची।

सूचना

आगामी ई-ऑक्शन (दिनांक 20.6.17 के ऑक्शन) से, स्पॉट ई-ऑक्शन स्कीम 2015 के शर्तों एवं बंधनों में वर्णित कंडिका 7.2 में कोयला विमुक्ति आदेश (D.O.) की वैधता संशोधित करते हुए 30 दिनों से बढ़ाकर 45 दिन किया जाता है।

सक्षम पदाधिकारी के आदेश से।

ह०/-


(रमेश कुमार सिंह)

उप वाणिज्य प्रबंधक

शापांक : 773.

दिनांक : 12.06.2017

प्रतिलिपि: मैसर्स एम.एस.टी.सी.लि., कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध होगा कि आप अपने स्तर से सभी क्रेताओं को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।


12/06/2017
उप वाणिज्य प्रबंधक
R